

INDIAN STATISTICAL INSTITUTE
203, B. T. ROAD, KOLKATA : 108



No.C 1100 /RBC

07 November 2023

OFFICE MEMORANDUM

Sub : Grant of Dearness Relief to the Pensioners/Family Pensioners of the Institute. Revised rate effective from 01 July 2023.

A reference is invited to this Office Memorandum No.C 11/RBC dated 25 April 2023 on the subject mentioned above. Pursuant to the decision of the Government of India, Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions, Department of Pension & Pensioners' Welfare, vide their O.M. No.42/04/2023-P&PW (D) dated 27 October 2023 as well as Ministry of Statistics and Programme Implementation, vide its O.M. No.I-12011/17/2016-ISI (Part-I) dated 22 October 2018 & O.M. No.I-12011/17/2016-ISI (Part-I) dated 09 October 2018, as resolved by the Council of the Institute in its meeting held on 10 October 2018, the rate of Dearness Relief (DR) payable to the Pensioners/Family Pensioners of the Institute shall be enhanced from the existing rate of **42%** to **46%** with effect from **01 July 2023**.

2. Payment of DR involving a fraction of a rupee shall be rounded off to the next higher rupee.
3. Other provisions governing grant of DR in respect of employed family pensioners and re-employed pensioners will be regulated in accordance with the provisions contained in Institute O.M. No.C1118/RBC dated 26 July 2001 and further to Institute O.M. No.C1529/RBC dated 13 November 2009 as amended vide Department of Pension & Pensioners' Welfare's O.M. F.No.38/88/2008-P & PW (G), dated 09 July 2009. The provisions relating to regulation of DR where pensioner is in receipt of more than one pension will remain unchanged.
4. All Disbursing Authorities should ensure to arrange payment of relief to the pensioners/family pensioners of the Institute on the basis of this O.M.

This issues with the approval of the Competent Authority.


(Ravinder Kumar)
Chief Executive (A & F)

- Copy to :
1. Heads of all Divisions/Departments/Sections/Units etc. and Outlying Centres/Offices etc.
 2. Retirement Benefit Cell.
 3. Personnel Unit.
 4. Accounts Section, Kolkata.
 5. Director's Office.
 6. CE (A & F)'s Office.
 7. Council Section for reporting in next Council meeting.
 8. Head, CSSC for uploading in the ISI website.
 9. Pensioner's Association.

dd.

भारतीय सांख्यिकीय संस्थान

203, बी.टी. रोड, कोलकाता -108



सं. सी. 100 /आर.बी.सी

07 नवंबर, 2023


कार्यालय ज्ञापन

विषय : संस्थान के पेंशनभोगियों/परिवार पेंशनभोगियों को महंगाई राहत का अनुदान - 01 जुलाई, 2023 से प्रभावी संशोधित करें।

उपर्युक्त विषय में इस कार्यालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या सी 11/आर.बी.सी. दिनांक 25 अप्रैल, 2023 का अवलोकन किया जाए। भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, पेंशन एवं पेंशनभोगी कल्याण विभाग के कार्यालय ज्ञापन सं. 42/04/2023-पी. एंड पी.डब्ल्यू.(डी), दिनांक 27 अक्टूबर, 2023 साथ ही साथ सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन सं. I-12011/17/2016-आईएसआई (भाग-I) दिनांक 22 अक्टूबर, 2018 एवं कार्यालय ज्ञापन सं. I-12011/17/2016-आईएसआई (भाग-I) दिनांक 09 अक्टूबर, 2018 के अनुसरण में 10 अक्टूबर, 2018 को आयोजित बैठक में संस्थान के परिषद द्वारा हल किया गया कि संस्थान के पेंशनभोगियों/ परिवार पेंशनभोगियों को देय महंगाई राहत (डी आर) की दर को 01 जुलाई, 2023 के प्रभाव से 42% की विद्यमान दर से बढ़ाकर 46% किया जाएगा।

2. महंगाई राहत के भुगतान में अंतर्ग्रस्त किसी रुपये के अंश को अगले उच्चतर रुपये में पूर्णांकित किया जाएगा।
3. नियोजित परिवार पेंशनभोगियों एवं पुनर्नियोजित पेंशनभोगियों की बाबत महंगाई राहत की मंजूरी को शासित करनेवाले अन्य प्रावधान विभाग के कार्यालय ज्ञापन एफ सं. 38/88/2008-पी एंड पी डब्ल्यू (जी), दिनांक 09 जुलाई 2009 द्वारा यथा संशोधित संस्थान के कार्यालय ज्ञापन सं. सी 1118/आर.बी.सी. दिनांक 26 जुलाई 2001 एवं कार्यालय ज्ञापन सं. सी 1529/आरबीसी दिनांक 13 नवंबर 2009 में निहित प्रावधानों के अनुसार विनियमित होंगे। जो पेंशनभोगी एक से अधिक पेंशन प्राप्त कर रहे हैं उनके मामले में महंगाई राहत के विनियमन से संबंधित प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे।
4. सभी भुगतान प्राधिकारी इस कार्यालय ज्ञापन के आधार पर संस्थान के पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों को राहत के भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करें।

इसे सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।


(रविन्द्र कुमार)
मुख्य कार्यपालक (प्रशा. एवं वित्त)

प्रतिलिपि प्रेषित :

1. सभी प्रभागों / विभागों / अनुभागों / यूनिटों आदि एवं बहिर्वर्ती केन्द्रों / कार्यालयों आदि के प्रमुखों को।
2. सेवानिवृत्ति हितलाभ कक्ष।
3. कार्मिक यूनिट।
4. लेखा अनुभाग, कोलकाता।
5. निदेशक का कार्यालय।
6. मुख्य कार्यपालक (प्रशा. एवं वित्त) का कार्यालय।
7. परिषद अनुभाग को अगली परिषद बैठक में रिपोर्टिंग करने हेतु।
8. प्रमुख, सीएसएससी को आई एस आई वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
9. पेंशनभोगी संघ।